

पंजीकृत डाक द्वारा

पत्रावली संख्या बी०पी०-III-225

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(भवन प्रकोष्ठ)

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा (उ०प्र०)

संख्या नोएडा/बी०पी०-III-225 / 1976

दिनांक: 22/12/77

मुख्य कार्यपातक अधिकारी
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश
सेवा में

M/s. AIMS Promoters Pvt. Ltd.
जी०एच०-02, सेक्टर-75
नोएडा

प्रिय महोदय,

मैं सत्यकथ प्रमाणित करता हूँ कि वास्तुविद श्री दीपक मेहता काउन्सिल आफ आर्कीटेक्चर एजीकरिंग संख्या सी०ए०/87/10840 समूह/कर्म के पर्यवेक्षण में मूखण्ड संख्या-जी०एच०-02, सेक्टर-75, ईको सिटी, नोएडा पर पूरे किछे गये भवन का निर्माण /पुनर्निर्माण/परिवर्तन/ निरवरोध जाने के काम का सलमन मानचित्र के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है तथा मैं घोषणा करता हूँ कि सम्बन्धित पंजीकृत वास्तुविद के समूह/कर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये संरचना मण्डली प्रमाण पत्र तथा समायन प्रमाण पत्र के आधार पर अधिभोग संरचना मण्डली अस्तित्वपूर्ण, अन्तर तथा आत माल की संरचना और संरक्षित सम्बन्धी स्थितियों के सम्बन्ध में यह सही तथा अधिभोग के योग्य है।

यह अधिभोग पत्र दिनांक 23.10.17 को प्राधिकरण द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि आवंटों द्वारा मूखण्ड/ भवन में निरीक्षण की तिथि के बाद कुछ परिवर्तन किया/किये जाते हैं अथवा नोएडा विलिंग रेगुलेशन तथा अयरेक्शन / भवन नियमपत्री के विरुद्ध कोई निर्माण किया जाता है तो ऐसे निर्माण के विरुद्ध उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा -10 के अन्तर्गत दृष्टी की कार्यवाही अपेक्षित होगी। भविष्य में मूखण्ड/ भवन में नोएडा विलिंग रेगुलेशन तथा अयरेक्शन/ भवन नियमावली के अनुसार विस्तार का अलग से मानचित्र स्वीकृत कराने तथा उस भाग का अधिभोग पत्र नियमानुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा उसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित आवंटों/मूखानों का होगा।

मूखण्ड का क्षेत्रफल
मू-आकसन का विवरण

= 20,000.00 वर्ग मी०

सम्पूर्ण योजना में अनुमत्या मू-आच्छादित क्षेत्रफल
सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत मू-आच्छादित क्षेत्रफल
निर्मित मू-आच्छादित क्षेत्रफल (A, C.D.F & G द्वारा)

= 8000.00 वर्ग मी० (40%)

= 4087.493 वर्ग मी० (20.43%)

= 4174.933 वर्ग मी० (20.82%)

एक०ए०आर० का विवरण

सम्पूर्ण योजना में अनुमत्या एक०ए०आर० @ 2.75
सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत एक०ए०आर०
निर्मित एक०ए०आर० (A, C.D.F & G)

= 55,000.00 वर्ग मी०

= 54759.39 वर्ग मी०

= 53863.929 वर्ग मी०

इयलिंग यूनिट का विवरण

कुल स्वीकृत अर्थलिङ्ग यन्त्रिदस
निर्मित अर्थलिङ्ग यन्त्रिदस

वाणिज्यिक क्षेत्रफल का विवरण
अन्य वाणिज्यिक क्षेत्रफल

स्वीकृत वाणिज्यिक क्षेत्रफल
निर्मित वाणिज्यिक क्षेत्रफल (अधिभोग जारी)

प्रतिबन्ध-

यह जारी किये जाने वाला अधिमोग प्रमाण पत्र ओखला पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विद्यारथीन मूल प्रार्थना पत्र सं0 375 वर्ष 2015, परमवीर सिंह बनान यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अनुपालन हेतु पट्टाधारक/उप पट्टाधारक बाध्य होंगे ।

2. नीएडा भवन विनियमावली-2010, उओप्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010, पर्यावरण विभाग/माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण/Real Estate Regulatory and Development Authority 2016 तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों/निर्देशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन आबंटी संस्था पर बाध्यकारी होगा ।

3. अधिभोग प्रमाण पत्र एवं मानचित्रों में दर्शायी गयी स्वीकृति के सापेक्ष प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन आदि किया जाना अनाधिकृत माना जायेगा तथा उसको खस्त कर/हदार्थे जमाने की विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

4. अनिशमन, लिफ्ट संचालन, वर्षा जल संचालन प्रणाली, जल संचरण व रिसाइकिंग, लैंडस्केप/हस्ति क्षेत्र/खुला क्षेत्र/दृक्षारोपण, सीवेज सिस्टम, कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरणीय एवं प्रदूषण सम्बन्धी व्यवस्था व प्रणालियों आदि का रखरखाव व संचालन गुणवत्तापूर्वक करने के साथ हमेशा कार्यशील स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा अन्यथा संगणन मानचित्र निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

5. यह अधिभोग प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है कि भविष्य में यदि फ्लैट क्रैता द्वारा मानचित्र में बदलाव या किन्हीं अन्य कारणों से अरहमति व्यक्त की जाती है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

6. प्लेट स्वामियों व अन्य के विजिटर्स हेतु कार पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही कराना सुनिश्चित करें। सड़क पर किसी भी प्रकार की पार्किंग न करें।

संलग्नक - भवन के समापन मानचित्र ।

1892

प्रतीतिः महा प्रबन्धक (गुप्त राजसिंह) को सूचनार्थ ।

= 626 यूनिट्स
 = 562 यूनिट्स

= अनुमय एफ0ए0आर0 का 1%
 = 550.00 वर्ग मीटर
 = 539.058 वर्ग मीटर
 = 431.885 वर्ग मीटर

Date:
 Page No:
 Topic:
 Name:
 Roll No:
 Class:
 Date:
 Page No:
 Topic:
 Name:
 Roll No:
 Class: